



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1138/MH/29/2022-RO-BH

दिनांक: 08.06.2023

सेवा में,

वयम फ़ाउंडेशन,
12 शायली शेल्टर्स,
विठ्ठल मंदिर के पीछे, कर्व नगर,
पुणे, महाराष्ट्र


विषय: नाशिक जिले में वनाधिकार एवं पेसा (PESA) कानून के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में वयम फ़ाउंडेशन, 12 शायली शेल्टर्स, विठ्ठल मंदिर के पीछे, कर्व नगर, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 17.10.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 16.06.2023 को अपराहन 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदय के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।